

राजस्थान सरकार  
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर  
**संस्थान स्तर पर परीक्षा कार्य सम्पादन हेतु स्वीकार्य पारिश्रमिक भुगतान के नियम**

क्रम संख्या	पारिश्रमिक दरें	पद कोड संख्या	वर्तमान दर	संस्थान स्तर पर भुगतान	विशेष विवरण
1	परीक्षा केन्द्र अधीक्षक	11	रुपये 45/- प्रति परीक्षा काल	सैद्धान्तिक/प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में भुगतान योग्य	यदि सैद्धान्तिक/प्रायोगिक दोनों परीक्षाये एक ही दिवस व काल में हो तो किसी एक कार्य हेतु पारिश्रमिक स्वीकार्य
2	अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र अधीक्षक	12	रुपये 30/- प्रति परीक्षा काल	केवल सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु	
3	वीक्षक	13	रुपये 22.50 प्रति परीक्षा काल	केवल सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु	
4	परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी	14	रुपये 18/- प्रति परीक्षा काल, प्रति लिपिक	केवल सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु	
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	15	रुपये 12/- प्रति परीक्षा काल	केवल सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु	
6	प्रायोगिक एवं वाई वा परीक्षा परीक्षक बाह्य परीक्षक आंतरिक	17 18	रुपये 4.50 प्रति छात्र न्यूनतम रूपये 150/- प्रत्येक परीक्षक बाह्य (17) परीक्षक आंतरिक (18)	केवल प्रायोगिक परीक्षा हेतु	यदि विषय कोड विभिन्न पाठ्यक्रमों में कॉमन हो तो उपस्थित परीक्षार्थियों के आधार पर पारिश्रमिक स्वीकार्य
7	प्रोजेक्ट कार्य के लिए प्रश्न पत्र निमाताओं के लिए बाह्य आंतरिक	19 20	रुपये 127.50 प्रति पेपर सेटिंग बाह्य (19) व आंतरिक (20)	केवल प्रायोगिक परीक्षा हेतु	बाह्य एवं आंतरिक दोनों परीक्षक को देय
8	प्रोजेक्ट कार्य की परीक्षा के लिए बाह्य आंतरिक	19 20	रुपये 15/- प्रति छात्र न्यूनतम रूपये 120/- प्रत्येक परीक्षक बाह्य (19) व आंतरिक (20)	केवल प्रायोगिक परीक्षा हेतु	बाह्य एवं आंतरिक दोनों परीक्षक को देय
9	डिमोस्ट्रेटर/इन्स्ट्रक्टर	16	रुपये 24/- प्रति प्रति परीक्षा काल	केवल प्रायोगिक परीक्षा हेतु	
10	टेक्नीशियन	14	रुपये 18/- प्रति प्रति परीक्षा काल	केवल प्रायोगिक परीक्षा हेतु	
11	लेबोरेटरी अटेन्डेन्ट	15	रुपये 12/- प्रति प्रति परीक्षा काल	केवल प्रायोगिक परीक्षा हेतु	
12	कनवेन्सा अलाउन्स बाह्य परीक्षक प्रायोगिक (17) बाह्य परीक्षक प्रोजेक्ट (19)	17 19	रुपये 45/- प्रति दिन बाह्य परीक्षक प्रायोगिक (17) बाह्य परीक्षक प्रोजेक्ट (19)	केवल प्रायोगिक परीक्षा हेतु	स्थानीय बाह्य परीक्षकों के लिए

—: विशेष निर्देश :-

1. प्रायोगिक परीक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित समयावधि में आयोजित कराई जावें एवं प्रायोगिक परीक्षा का प्रोग्राम एव प्रश्न पत्र की प्रति मण्डल को प्रेषित की जावे। जिससे परीक्षा अधीक्षक के पारिश्रमिक कार्य का सत्यापन किया जा सके।
2. प्रायोगिक परीक्षा हेतु प्रत्येक ग्रुप में परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 20 होगी, प्रत्येक ग्रुप हेतु एक एक टेक्नीशियन व सहायक कर्मचारी की नियुक्ति करें। टेक्नीशियन की नियुक्ति केवल उन्हीं विषयों में की जावें जिसमें उनकी आवश्यकता होवे यह कार्य परीक्षा केन्द्र अधीक्षक अपने विवेकानुसार करें अर्थात् किसी परीक्षा में एक से अधिक टेक्नीशियन/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आवश्यकता होवे तो प्रायोगिक रिपोर्ट में अंकित करें।
3. प्रायोगिक परीक्षक प्रतिवेदन पूर्णरूप से भरे अर्थात् नियुक्ति टेक्नीशियन/सहायक कर्मचारी ( लेब एटेंडेंट/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) का प्रायोगिक परीक्षाओं का भुगतान विवरण गोपनीय 28 व सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु परीक्षा 44 प्रपत्र में प्रेषित करें।
4. नाम अंकित करें इसके अभाव में मण्डल द्वारा उनके कार्य का सत्यापन संभव नहीं हो पाता है जिससे नियुक्ति कर्मचारियों की वसूली की जा सकती है।
5. प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु परीक्षा अधीक्षक, टेक्नीशियन, इन्स्ट्रक्टर, लेबएटेंट/सहायक कर्मचारी को ही पारिश्रमिक देय है अर्थात् इनके अलावा, मंत्रालयिक कर्मचारी, वीक्षक, अति० परीक्षा अधीक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
6. मण्डल द्वारा आवंटित बजट का भुगतान विवरण परीक्षा समाप्ति के एक माह के भीतर मण्डल कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रेषित करें एवं परीक्षा मद का पारिश्रमिक मानचित्र प्रेषित करने पर ही आगामी परीक्षा हेतु बजट आवंटन संभव होगा।
7. सैद्धान्तिक परीक्षा एवं अन्य पारिश्रमिक कार्य का भुगतान परीक्षा अधीक्षक के निर्देश पुस्तिका अनुसार करें।
8. निजी संस्थानें पूर्वानुसार संस्थान स्तर पर भुगतान कर मूल विपत्र, परीक्षा-44 व गोप-28 प्रेषित करने पर मण्डल द्वारा भुगतान किया जायेगा।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव  
प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान, जोधपुर